कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनोपरांत रामचन्द्र पालीवाल पदस्थापन व्याख्याता (भूगोल) पद पर आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/नियुक्ति भूगोल/पीएससी–15 दिनांक 29–8–2018 द्वारा राउमावि.नवलश्याम बिछिवाडा डूंगरपुर किया गया। रामचन्द्र पालीवाल ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्व माननीय माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 288/2019 दायर की एंव कथन किया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त भर्ती के जारी संशोधित परिणाम में याचि से कम मेरिट कमांक वाले अभ्यार्थियो को उनके गृह जिले (उदयपुर) में पदस्थापन मिला एंव उसे गृह जिले उदयपुर से बाहर डूंगरपुर में पदस्थापन मिला हैं, जबकि उस की काउंसलिग के समय उदयपुर जिले में रिक्तियां उपलब्ध थी। अतः याची को उसके गृह जिले में पदस्थापित किया जाना चाहिये माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने अपने निर्णय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारित करने का आदेश दिया जिसकी पालना में याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि यावी का पदस्थापन काउसलिंग के द्वारा किया गया तथा याची को उस समय काउंसलिग के लिये निर्धारित रिक्त पदों में से स्थान चयन करने का अवसर दिया गया सशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की काउसंलिग बाद में की गयी और उन्हे उसी प्रकार काउंसलिग के लिये निर्धारित पदों में से चयन का अवसर मिला काउंसलिग के लिये रिक्त पदों का निर्धारण विभाग की आवश्यकता एवं प्राथमिकता अनुसार किया जाता है, समयनुसार रिक्तियों की स्थिति समान नहीं हो सकती व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है। अतः किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है याची द्वारा पूर्व में भी अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 14125/2018 मे माननीय न्यायालय के दिनांक 18.9.2018 निर्णय के सन्दर्भ में प्रस्तुत अभ्यावेदन का इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/को.के/2018 दिनांक 15.10.2018 के तहत निस्तारित किया जाच चुका है। अतः पुनः याचि का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निरतारित किया जाता है सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा./संस्था/सी–5/रामचंन्द्र/को.के/2018 दिनांक 15/9/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. सबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि माध्यमिक शिक्षा जोधपुर
5. सहायक निदेशक विधि अनुभाग माध्यमिक बीकानेर बी–2 जोधपुर प्रभाग को प्रति प्रेषित है
6. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि.नवलश्याम बिछिवाडा डूंगरपुर
7. संबंधित कार्मिक रामचंन्द्र पालीवाल राउमावि.नवलश्याम बिछिवाडा डूंगरपुर
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)